[2018] 1 एस. सी. आर. 206

रसेल की खुशी

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 878)

11 जनवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर

और डॉ। डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 32 - 121 वर्षों पुराना मुल्लापेरियार

केरल राज्य में बांध, बांध परियोजना के मुख्य अभियंता ने 50 वर्षों की अवधि के लिए बांध के जीवनकाल की परिकल्पना की-नागरिकों, विशेष रूप से नदी के निचले हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुल्लापेरियार बांध के जीवनकाल का आकलन करने की आवश्यकता-भारत सरकार को मुल्लापेरियार बांध और बांध के जीवनकाल का अध्ययन करने और निर्णय लेने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए रिट ऑफ मंडमस जारी करने की मांग करने वाली याचिका-आयोजितः बांध के कारण होने वाली किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन और बेहतर तैयारी की आवश्यकता है

-

केंद्र सरकार, केरल राज्य को निर्देश जारी करना

साथ ही तमिलनाडु राज्य द्वारा एक अलग उप-समिति का गठन किया जाएगा। 9 मुल्लापेरियार बांध से होने वाली किसी भी आपदा का सामना करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के उपायों की विशेष रूप से निगरानी करने के लिए 2005 के अधिनियम-सभी राज्य केंद्रीय उप-समिति-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ सद्भाव में काम करेंगे। 9 , 21 , 23 (4) .

तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और अन्य

[2014] 12 एससीआर 875: (2014) 12 एससीसी 696-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एस. सी. आर. 875 संदर्भित

पै

रा 3

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

878 2017 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, सुब्रमण्यम प्रसाद, सीनियर Adv./AAG, उमावती, केवीवी विजयकुमार, मोहन वी। कटारके, जी. प्रकाश, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जिस अवधि में उक्त बांध को चालू किया जाना चाहिए; मुल्लापेरियार बांध को चालू करने के लिए एक तारीख/समय अवधि घोषित करने के लिए इस न्यायालय को सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करें; बांध के मालिक राज्य, यानी तमिलनाडु को मुल्लापेरियार के फटने की स्थिति में जीवन को नुकसान और पर्यावरण की बहाली के लिए वित्तीय प्रावधान करने का निर्देश दें। इससे पहले कि इसे कार्यमुक्त किया जाए, और कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो यह न्यायालय तथ्यों में ऐसा करने के लिए उचित और उचित समझे और

मामले की परिस्थितियाँ।

2. इस याचिका के निर्णय के लिए जिन आवश्यक तथ्यों को बताए जाने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि मुल्लापेरियार बांध का निर्माण पट्टे पर दिया गया था

तत्कालीन त्रावणकोर के महाराजा और मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए ब्रिटिश राज्य सचिव के बीच वर्ष 1886 में किया गया समझौता 999 वर्षों की अवधि के लिए। उक्त समझौते के अनुसरण में, बांध का निर्माण पेरियार नदी पर कच्चे चूने के मोर्टार में किया गया था।

वह समय जब बांध इंजीनियरिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। पेरियार नदी समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊँचाई पर शिवगिरी और पश्चिमी घाट से निकलती है और 850 मीटर की ऊँचाई पर मुल्लयार नदी में मिल जाती है। यह इस ऊंचे जंक्शन पर है, मुल्लापेरियार बांध को नींव से 53.6 मीटर (176 फीट) की ऊंचाई और 365.7 मीटर (1,200 फीट) की लंबाई के साथ बनाया गया था, जो उक्त पट्टा समझौते के तहत पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था।

3. याचिका में दावा किया गया है कि बांध परियोजना के मुख्य अभियंता श्री जॉन पेनीक्यूक ने बांध के जीवनकाल की परिकल्पना की थी। 50 वर्ष की अवधि के लिए। चूंकि बांध के निर्माण की तारीख से 121 साल बीत चुके हैं, इसलिए उक्त बांध का विघटन आवश्यक हो गया है और बांध [2018] 1 एस. सी. आर. के जीवनकाल का आकलन करने की आवश्यकता है।

नदी के निचले हिस्से में रहता है। केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच लंबे समय तक दायर किए गए मुकदमों का संदर्भ है और हाल ही में इस न्यायालय के समक्ष 2006 के सी. एस. (ओ. एस.) संख्या 3 में, जिसका निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम आई. डी. 1 पर किया गया था। केरल राज्य और एक अन्य 'जिसके तहत इस न्यायालय ने अन्य निर्देश जारी करने के अलावा आपात स्थितियों में बांध से संबंधित उपाय करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति नियुक्त की थी। 4. याचिका में तर्क दिया गया है कि समय के प्रवाह और बांध की सुरक्षा संदिग्ध होने के कारण, मुल्लापेरियार बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। इसके अलावा, निकटवर्ती क्षेत्र के निवासी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, जैसा कि निर्धारित किया गया है, बांध फटने के रूप में होने वाली आपदा की प्रतीक्षा किए बिना जीवन की रक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जो कई कारणों से शुरू हो सकती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 1886 के पट्टा समझौते पर संविदात्मक अधिकारों को लेकर केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच मतभेदों के कारण,

उन्होंने तत्काल आपदा के क्षेत्र में रहने वाले कई नागरिकों के भय को कम करने या उनके जीवन के लिए खतरे को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में बांध के जीवनकाल के बारे में गंभीर चिंता को उजागर किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि इसे 999 माना जाता है, तो यह असंभवता के दायरे में एक अटकल है जिसे कानून स्वीकार नहीं करता है, और पूरी तरह से इसके खिलाफ है।

5. यह आग्रह किया जाता है कि लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसलिए, उत्तरदाताओं का कहना हैः

नागरिकों का दिमाग वाष्पित हो जाता है। कल्पना के किसी भी विस्तार से बांध के जीवनकाल की कल्पना 999 वर्ष की जा सकती है जो पट्टा विलेख की अवधि है और मानव जीवन को बचाने के लिए बांध को बंद करना पड़ता है। जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के खतरे को रहने नहीं दिया जा सकता है। बिना आवश्यकता के बांध का अस्तित्व मूल्यांकन प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक खतरा है और यह पर्यावरण के लिए भी एक निरंतर खतरा है।

6. चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत मानव जीवन के लिए अनुमानित आपदा और अप्रत्याशित आपदा से संबंधित है, इसलिए यह निर्देश दिया गया था कि

भारत संघ को दी जाने वाली याचिका की प्रति।

1 (2014) 12 एस. सी. सी. 696 रसेल जॉय बनाम।

7. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मनोज वी. जॉर्ज, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल को सुना है।

भारत संघ की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद, तमिलनाडु राज्य के लिए विद्वान वकील श्री उमावती और केरल राज्य के लिए विद्वान वकील श्री जी. प्रकाश के साथ श्री मोहन वी. कटारके की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील/ए. ए. जी. श्री सुब्रमण्यम प्रसाद के साथ। 8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जॉर्ज ने अपने तर्क के दौरान निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(i) मुल्लापेरियार बांध के जीवनकाल के संबंध में निष्कर्षों की गैर-रिकॉर्डिंग लोगों के लिए एक महान मानव निर्मित आपदा को आमंत्रित करेगी।

इलाकाई और वातावरण में विनाश लाते हैं।

स्थिति। (iv) यदि बांध के निकट या नीचे की ओर रहने वाले व्यक्ति निरंतर भय की स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम तमिलनाडु राज्य से अनुच्छेद 229 और 230 को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। (ऊपर)। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 229. हालांकि, केरल की आशंकाओं को दूर करने के लिए-हालांकि कोई मौजूद नहीं है-मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में एफ. आर. एल. की पुनर्स्थापना पर 142 फीट। , 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया जाता है। समिति में एक प्रतिनिधि होगा।

केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों-तमिलनाडु और केरल से एक-एक प्रतिनिधि। केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष होगा। समिति अपने कार्यालय के लिए स्थान का चयन करेगी, जो केरल द्वारा प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु समिति का पूरा खर्च वहन करेगा।

230. पर्यवेक्षी समिति की शक्तियाँ और कार्य

यह इस प्रकार होगाः (i) समिति में एफ. आर. एल. की बहाली की निगरानी करेगी

मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई 142 फीट है।

((ii) समिति समय-समय पर बांध का निरीक्षण करेगी।

विशेष रूप से मानसून से तुरंत पहले और मानसून के दौरान इसकी सुरक्षा पर कड़ी नजर रखें और आवश्यक उपायों की सिफारिश करें। इस तरह के कदम उठाए जाएंगे

केरल-या उनमें से कोई भी अगर सुरक्षा के लिए आवश्यक हो एक आकस्मिक स्थिति में मुल्लापेरियार बांध। इस तरह के निर्देश होंगे -

सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाए। ((iv) समिति तमिलनाडु को केंद्रीय जल आयोग और बांध सुरक्षा संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार बांध के आवधिक निरीक्षण पर आवश्यक एहतियाती उपाय करने की अनुमति देगी।

11. विद्वान महान्यायवादी के अनुसार उचित कदम उठाए गए। उन्होंने 11.1.2018 दिनांकित कथन प्रस्तुत किया है। गुलशन राज, पर्यवेक्षी समिति के अध्यक्ष/निकटवर्ती प्रमुख, बांध सुरक्षा संगठन, केंद्रीय जल आयोग, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,

भारत का राज्य। वक्तव्य इस प्रकार हैः

" आर. एस. एस. ई. एल. जॉय बनाम पर 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले में निहित अधिकार प्राप्त समिति के संक्षिप्त निष्कर्ष के अनुसार।

मुल्ला पेरियार बांध (एम. पी. डी.), एम. पी. डी. जलविज्ञान, संरचनात्मक और भूकंपीय रूप से सुरक्षित है। मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2014 के बाद से कोई नया विकास नहीं हुआ है और रिपोर्ट नहीं की गई है। पर्यवेक्षी समिति ने एम. पी. डी. में कोई परेशानी नहीं देखी है।

12. इस मामले का केंद्र यह है कि क्या बांध की सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त उपाय किए गए हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट किए गए निर्णय से उपरोक्त पैराग्राफ से समझते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे पर विचार करते समय बड़ी पीठ द्वारा पहले ही उचित कदम उठाए जा चुके हैं। हमने पर्यवेक्षी समिति के अध्यक्ष के बयान का भी अध्ययन किया है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जॉर्ज ने आपदा प्रबंधन के संबंध में रुख को दोहराते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ई) (संक्षिप्तता के लिए, "2005 अधिनियम") की सराहना की है। विद्वान वकील इस बात पर जोर देंगे कि अप्रत्याशित, अचानक और आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बांध की सुरक्षा या बांध की जीवन अवधि आपदा प्रबंधन से अलग होना अनिवार्य है। इस संबंध में, उन्होंने बांध के निचले क्षेत्र या निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में निरंतर भय के कारण मानसिक स्थिति के क्षरण की अवधारणा पर जोर दिया है।

13. उक्त निवेदन की सराहना करने के लिए, हम 2005 के अधिनियम की धारा 2 (डी) का उल्लेख कर सकते हैं। यह इस प्रकार हैः

" 2 ((घ) "आपदा" से आपदा, दुर्घटना, आपदा या कब्र अभिप्रेत है।

प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में घटना, जिसके परिणामस्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान या मानव पीड़ा या क्षति होती है, और संपत्ति का विनाश, या पर्यावरण को नुकसान, या क्षरण होता है, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का होता है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो।

14. धारा 2 (ई), जो शब्दकोश खंड है, "आपदा प्रबंधन" को परिभाषित करता है। वही इस प्रकार हैः

" 2 (ई) "आपदा प्रबंधन" का अर्थ है योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन का एक निरंतर और एकीकृत सार।

ऐसे उपाय जो आवश्यक या समीचीन हों

((i) किसी भी आपदा के खतरे या खतरे की रोकथाम;
((ii) किसी आपदा या उसकी गंभीरता के जोखिम को कम करना या कम करना।

((ग) क्षमता-निर्माण;

आपदा; (vi) किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का आकलन करना;

(vii) निकासी, बचाव और राहत।

(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;

15. हम "राष्ट्रीय योजना" से संबंधित अनुभाग में प्रयुक्त भाषा को भी लाभ के साथ नोट कर सकते हैं। यह उपखंड का पुनरुत्पादन करने के लिए उपयोगी है।

उक्त धारा, जो इस प्रकार हैः

(3) राष्ट्रीय योजना में शामिल होंगे - (क) आपदाओं की रोकथाम या उनके प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ख) शमन उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय

विकास योजनाओं में;

(ग) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय या

आपदा;

(घ) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

खंड (ए), (बी) और (सी) "।

16. धारा 23 "राज्य योजना" और उप-धारा (4) से संबंधित है।

यह निम्नानुसार हैः

(4) राज्य योजना में शामिल होंगे - (क) राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की असुरक्षा

आपदाओं के रूप;

(ख) आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय;

(ग) जिस तरीके से शमन उपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा;

((घ) क्षमता-निर्माण और तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय; (ङ) उपरोक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां;

(च) किसी भी खतरनाक आपदा का जवाब देने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

स्थिति या आपदा "।

17. इसी तरह, धारा 31 "जिला योजना" और उप-धारा से संबंधित है।

वही नीचे दिया गया हैः

" (3) जिला योजना में शामिल होंगे -

(क) जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र;

(ख) जिले में सरकार के विभागों द्वारा आपदा की रोकथाम और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

जिले में स्तर और स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले के स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा से निपटने के लिए क्षमता-निर्माण और तैयारी के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया योजनाएँ और प्रक्रियाएँ,

के लिए प्रदान करना

(i) के विभागों को जिम्मेदारियों का आवंटन

जिला स्तर पर सरकार और स्थानीय प्राधिकरण

जिला;

((ख) आपदा और उसकी राहत के लिए त्वरित प्रतिक्रिया;

((v) जनता तक सूचना का प्रसार; (ङ) ऐसे अन्य मामले जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

18. 2005 के अधिनियम की योजना के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में एक उपयुक्त आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए।

5 .

2005 के अधिनियम के प्रावधानों को अक्षर और भावना में अत्यधिक प्रेषण के साथ लागू करें। 20. तमिलनाडु राज्य के विद्वान ए. ए. जी. श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने तमिलनाडु राज्य के अनुच्छेद 205 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

(ऊपर)। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

" 205. इसके अलावा, इस न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में खुद को आश्वस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग को नियुक्त किया। हमें कहना होगा कि निर्वाचन आयोग ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर गहनता से गौर करके अपना कार्य सराहनीय रूप से पूरा किया है। हम नहीं पाते हैं

बांध की जल सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपीय सुरक्षा पर निर्वाचन आयोग के निष्कर्षों और निष्कर्षों को चुनौती देने वाली केरल की आपत्तियों में कोई भी योग्यता। जांच, परीक्षणों और अध्ययनों की रिपोर्टों के विस्तृत विश्लेषण के साथ चुनाव आयोग के निष्कर्ष एक ओर ले जाते हैं

और केवल एक निष्कर्ष यह है कि मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर इस न्यायालय द्वारा 2006 के फैसले में दिए गए पहले के निष्कर्ष से हटने की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वास्तव में, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कम से कम परिस्थितियों में कोई भारी बदलाव या मुल्लापेरियार बांध के सुरक्षा पहलू को फिर से खोलने को उचित ठहराने वाली स्थिति जो इस न्यायालय द्वारा पहले के फैसले में निर्धारित की गई है।

21. केरल राज्य के विद्वान वकील श्री मोहन वी. कटारके ने तर्क दिया कि उक्त मुकदमे में न्यायालय का संबंध केवल

मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर में वृद्धि।

बांध से। इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जॉर्ज द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई चिंता को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन की बुनियादी जरूरतों और भय से भरी स्वतंत्रता के बिना जीवन, बिना भय के एक अवधारणा की तरह है। संरचना, आधारशिला के बिना एक घर, एक रूपक जो एक विचार को व्यक्त नहीं करता है, लहरों के बिना एक समुद्र या, उस मामले के लिए, एक विचार लगातार अटकलों के दायरे में रहता है। जीवन और स्वतंत्रता को समझना होगा, रुसेल जॉय वी।

और ठोस रूप से संरक्षित। ऐसा इसलिए है क्योंकि भय उद्देश्य के जुनून में सुन्नता लाता है और एक सक्रिय व्यक्ति को एक छोड़ने वाले के रूप में परिवर्तित करता है जो खुद को भाग्य के लिए त्याग देता है। इतिहास दुख और पीड़ा के साथ दर्ज करता है कि कैसे सभ्यताएं ज्यादातर भय के कारण नष्ट हो गई हैं। नागरिक विकास स्थिर है, क्योंकि जब भय हावी होता है तो संस्कृति और रचनात्मकता पीछे रह जाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोई डर नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है, वह सांत्वना पाता प्रतीत हो सकता है, हालांकि उसका दिल या मन आश्वस्त नहीं हो सकता है। इसलिए, इसमें शामिल राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे इस शब्द के वास्तविक अर्थ में विश्वास की भावना पैदा करें और यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त उपाय किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में व्यक्तियों की सुरक्षा प्रभावित न हो। उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अलग तरह से बोलने के लिए, उठाए गए कदमों को केवल एक सांत्वना देने वाली छाया नहीं, बल्कि विश्वसनीय और ठोस बोधशीलता को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

(i) केंद्र सरकार 2005 के अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अलग उप समिति का गठन करेगी, जो मुल्लापेरियार बांध के संबंध में अप्रत्याशित किसी भी आपदा का सामना करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के उपायों की विशेष रूप से निगरानी करेगी।
(ii) केरल राज्य के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य भी 2005 के अधिनियम की धारा 21 के तहत अलग-अलग उप-समितियों का गठन करेगा, ताकि मुल्लापेरियार बांध से होने वाली किसी भी आपदा का सामना करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के उपायों की विशेष रूप से निगरानी की जा सके। उन्हें एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए

धारा के तहत परिकल्पित राज्य योजना के तहत वितरण

23 (4) 2005 अधिनियम।

(iii) तमिलनाडु राज्य, जिसे सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य (ऊपर) में निर्णय के अनुसार, आपदा प्रबंधन के लिए एक उप-समिति भी होगी और

विशिष्ट योजना।

((iv) सभी उप-समितियों का गठन मौजूदा समितियों के अतिरिक्त होगा। सभी राज्य केंद्रीय उप-समिति के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे और उच्च स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुल्लापेरियार बांध के कारण होने वाली किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, ताकि जीवन और संपत्ति को नुकसान न पहुंचे।

24. मुल्लापेरियार बांध के लिए आपदा प्रबंधन के लिए विशेष उप-समितियों के गठन के लिए हमारे निर्देश किसी भी तरह से दूर से यह नहीं बताते हैं कि बांध की सुरक्षा या जीवन काल के बारे में कोई संदेह है, जैसा कि रिट याचिका में आरोप लगाया गया है। हमने ऐसा केवल अप्रत्याशित आपदा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा है, जिन्होंने चतुराई से ऐसा किया है

हमारे सामने प्रचार किया गया।

25. उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका

निकाल दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लिखित

याचिका का निपटारा किया गया।

निधि जैन